कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 2220 /बदायूँ/23705/2017, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 27, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
बरेली वृत्त
बरेली।

विषयः बदायूँ में मेरठ–बदायूँ मार्ग (एस0एच0–18) किमी0 163 से 208.400 तक (किमी0 चैनेज 162.000 से 207.400 तक) 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 64.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–3713/14–1, दि0 13.04.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

1– प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण दर पर संलग्न है। ऑनलाइन पार्ट–2 पर वानस्पतिक घनत्व 0.4 (सघन वन) अंकित है। अतः तद्नुसार संशोधित गणना संलग्न करें।

2– जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है तथा जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील अंकित नहीं है।

3– प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप के अवलोकन से विदित होता है कि परियोजना में गैर वनभूमि भी प्रभावित हो रही है, किन्तु ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(9) एव बी–2.1 से 2.4 पर गैर वनभूमि का क्षेत्रफल अपलोड नहीं किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।

4– परियोजना में प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल 40 हे0 से अधिक है। अतः वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न करें व ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड करें।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के प्रतिनिधि को प्रस्ताव की मूल प्रतियॉं इस आशय से उपलब्ध करायी जा रही हैं कि संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नकःप्रस्ताव की तीन मूल प्रतियॉं।**

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पत्रांक– / ,उक्तदिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र वन संरक्षक, बरेली को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित सूचनाओं सहित संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, बदायूँ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।